

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क्र. 2573/16 (एस) एम शिवेश -
गुलाम विरुद्ध

— 00 —

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक/प्रचार्य अनन्य
से प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी. 2573/16 (एस) का प्रारंभ
पाप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध श्रीमान डे अमर्त महविद्यालय
दपोलने गाँव से है।
प्रकरण में प्राचार्य, शां. चंड विद्या महा. डिंडोरी
प्रभावी अधिकारी नियुक्त किया जाना है, कृपया अनुमोदन करना चाहे साथ ही यदि
मान्य हो तो प्रभावी अधिकारी नियुक्ति आदेश की रवचछ प्रतियों पर हस्ताक्षर करना
चाहिए।

दले
24/2

OSJ

OIC नियुक्ति हेतु

रुपका खलद प्रति पर
हस्ताक्षर करके पारित।

आयुक्त सचिव महोदय

AD कर्मकांड 25/2/16

वि. नं. अ. (न्या प्रकोष्ठ)

कृपया आयुक्त महोदय जी के निर्देशानुसार
प्रकरण उभारी कक्षिकारी अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा सेवा
संभाग सेवा के OIC आदेश की खलद प्रतियां हस्ताक्षर
प्रस्तुत।

रुपका, Ad सेवा की OIC

बनाये जाने हेतु खलद प्रति
हस्ताक्षर प्रस्तुत

आयुक्त सचिव

29/2/16

28/02/16 (न्या)
R.N. 231
27/2/16

जा 4/3/16
24/2/16
22/2/16

26/2/16

26/2/16 OSJ

जा 3/3/16

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक:

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्लू.पी. क्र. 2573/16 (एस) PIL राजेश गुप्ता
विरुद्ध

00

सचिव मध्यप्रदेश शासन उ.श. विभाग के आदेश क्रमांक
दिनांक में अतिरिक्त संचालक/प्रचार्य को प्रभारी अधिवक्ता नियुक्त
किया जा चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु गस्ती विधि विभाग की ओर
अंकित करना, वाहे।

S.O.

बी.के. चोरासिया
द्वि.क.अ.

आयुक्त/सचिव महोदय

निधि विभाग

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. २३५/शा. विभा. ५/१६

विषय :- छात्रावासार्थ प्रकरण क्रमांक डबल्यू.सी. २५७३/२०१६ (एल) राजेश गुप्ता, शासकीय पद्म विज्ञान महाविद्यालय, डिंडोरी विरगुड शासन ।

पूर्व पृष्ठ से :-

५५५५ पृष्ठ में ओ. मा. सी. डा. देवा जा. वि. जा. चुके हैं आ. न. सी. प्रतिक्षण हेतु वि. विभाग को डा. वि. भु. जा. जा. जा.

Sub ०५०

३/३

म. ३/३/१६

दृष्टा,

प्रतिक्षण हेतु न. सी. वि. विभाग को प्रेषित करना जा. जा. जा.

४/१०३/१६

~~आयुक्त/सचिव~~

वि. विभाग

CHIEF
22/3/16
10/3/16

103

उमाकान्त समराव
सचिव/आयुक्त
म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठ क्र.....

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक.....

विषय :- न्या. प्र. नं. १. व. प्र. - २५७३ / १६ (PIL) राजेश
मुन्ना जिन्ना डिप्लोमा (मोसल) ।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 412/235/2016 दिनांक 27/2/16

सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा -1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जमाना देना शेष,

संलग्न शेष (न.प.) को या चेका क्रमांक WP. 2573/2016 (PT)

(पक्षकारों के नाम) राजेश गुरत, विरुद्ध शासन।

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

2/ समस्त सुरगत फाइलें, दस्तावेज, निम्न अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।

5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

1/ वाद/पत्रों के एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।

2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।

3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

4/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।

6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।

7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।

8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उत्तरदायी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हो ।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मदद / सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि याद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे ।

12/ महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रतः पीछे आवेदन दायर कर विलोपित करवाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक

27-2-16

पृष्ठ संख्या 413/235 / उशिवि / मंत्रालय / न्याय /
प्रतिलिपि:-

- 1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय भोपाल जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर संमान व.प्र. की ओर ।
- 2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्यालय भवन भोपाल
- 3/ संबंधित जिलाध्यक्ष बीवा मध्यप्रदेश ।
- 4/ अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा बीवा संक्रमा संक्रा प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित । साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा आनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मागले में अपनी प्रगत रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव है। भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये, मानले की सुनवाई की तारीख..... की सुनवाई हेतु नियत की गई थी/हैं ।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा जबलपुर संक्रा, जबलपुर (क.प.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)

WRIT PETITION NO. 2573 /2016 (PIL)

CAUSE TITLE

PETITIONERS : Rajesh Gupta, S/o, Ramesh Chandra Gupta, Aged about 45 years, R/o, Ward No.3, Shahpura, Tehsil Shahpura, District Dindori (M.P.).

VERSUS

- RESPONDENTS**
1. Union of India, through its Secretary, Human Resources Development and Higher Education Department, New Delhi
 2. The Principal Advisor, RUSA Sansadhan Kendra, New Delhi.
 3. The State of Madhya Pradesh through the Commissioner, Higher Education, Satpura Bhawan, Bhopal (M.P.).
 4. The Commissioner/ Project Director, Madhya Pradesh State Project Directorate, Rastriya Uchhatar Siksha Abhiyan (RUSA) Higher Education Department, Satpura Bhawan, Bhopal (M.P.).
 5. The Regional Deputy Director, Higher Education, Jabalpur Division Jabalpur (M.P.).